



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 396/2025

उ.प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं 2 अन्य ...अपीलकर्ता (गण)
बनाम

संत सेवक प्रसाद गौर एवं 2 अन्य ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: - मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- संजय कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं. 01 / 2025, विलंब क्षमा के लिये आवेदन पर आदेश)

- हमने राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव को सुना।
- यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत राज्य द्वारा रिट याचिका संख्या 2132/2024 (संत सेवक प्रसाद गौर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 18.03.2024 के निर्णय एवं आदेश तथा इसमें दिनांक 22.03.2024 के संशोधन को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
- यह अपील दिनांक 23.09.2025 को दायर की गई थी। इसकी त्रुटियों को दिनांक 24.09.2025 को दूर कर दिया गया है। अपील दाखिल करने में लगभग 524 दिनों का विलंब हुआ है, जिसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत, नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सहपठित परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 117 के अनुसार तीस दिन की समय सीमा विहित है।

4. हमने विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में शपथपत्र का अध्ययन किया है और यह पाया है कि यद्यपि निर्णय दिनांक 18.03.2024 को घोषित किया गया था एवं दिनांक और 22.03.2024 को संशोधित किया गया था, पहली बार अपीलकर्ताओं की नींद तब टूटी जब प्रतिवादियों ने उन्हें उक्त निर्णय की तामील कराई और तभी संबंधित अपीलकर्ता ने मामले में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को दिनांक 29.04.2024 को पत्र लिखा। शपथपत्र के अनुसार, इस संबंध में कुछ विचार-विमर्श हुआ और अंततः दिनांक 12.06.2024 को, यानी पूरे डेढ़ माह बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की विधि और प्रक्रिया के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया। हालांकि, यह आदेश भूलक्षी नहीं था और न ही इसमें विचाराधीन निर्णय के अनुपालन का विशेष उल्लेख था। इसके बाद, दिनांक 12.06.2024 के उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को वेतन वृद्धि के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई, क्योंकि यह निर्णय रिट न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध था जिसे इस याचिका में चुनौती दी गई है। अवमानना याचिका संख्या 433/2025 दायर होने और उक्त कार्यवाही में अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी होने के बाद ही, दिनांक 17.02.2025 को निदेशालय ने राज्य सरकार से दिनांक 18.03.2024 के इस निर्णय को चुनौती देने के संबंध में सलाह मांगी। इससे पूर्व, किसी भी अपीलकर्ता ने यह उचित नहीं समझा कि इस संबंध में कोई विधिक राय ली जाए कि इस निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने निर्णय का अध्ययन किये बिना ही उपरोक्त निर्णय ले लिया।

5. जैसा भी हो, अपीलकर्ताओं द्वारा आक्षेपित निर्णय को चुनौती दिए हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन कोई गंभीर और ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। दिनांक 17.02.2025 के पत्र के बाद भी, अपील दाखिल करने में लगभग सात माह लग गए। इस बीच, अर्थात् दिनांक 17.02.2025 के बाद, विधिक राय मांगी गई, जो अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.03.2025 को प्रदान की गई, जिसका अर्थ है कि मात्र विधिक राय प्राप्त करने में ही डेढ़ माह का समय लग गया, जबकि इस तकनीकी युग में यह काम कम समय में किया जा सकता था। अंततः विधि विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2025 को विशेष अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई, अर्थात् ढाई माह से अधिक समय बाद, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। शपथपत्र में मात्र पत्रावली के एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

डेस्क से दूसरे डेस्क पर जाने का वर्णन है। दिनांक 30.07.2025 को निदेशालय ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पत्रावली आवंटित करने के लिए पत्र लिखा, जिसे दिनांक 08.08.2025 को संबंधित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को आवंटित किया गया और उसके बाद दिनांक 23.09.2025 को अपील दायर की गई। शपथपत्र में प्रस्तुत किये गए किसी भी स्पष्टीकरण के आधार पर हम इसे स्वीकार करने और अत्यधिक विलंब को क्षमा करने के लिए सहमत नहीं हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय, *शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य (2025 एससीसी ऑनलाइन 1969)*, दिनांक 12.09.2025 को निर्णीत) के आधार पर परीक्षण करने पर, हमें इस अपील को दायर करने में हुए अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने *शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त)* मामले में यह धारित किया है कि "पर्याप्त कारण" शब्द लापरवाहीपूर्ण एवं पुराने दावों पर बल देने की समस्या का कोई रामबाण इलाज नहीं है। इस शब्द की व्याख्या न्यायोचित लचीलेपन के साथ की जानी चाहिए ताकि निर्दोष वादियों को उन परिस्थितियों के लिए दंडित न किया जाए जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। न्यायालयों को घोर लापरवाही, आशयपूर्ण निष्क्रियता या उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से "मुकदमेबाजी के अंत में राज्य का हित है" के सिद्धांत का हनन होगा एवं परिसीमा विधि द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली निश्चितता अस्थिर हो जाएगी। "पर्याप्त कारण" शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परिसीमा के अनुशासन को बनाए रखते हुए तात्त्विक न्याय अग्रसर हो। न्यायालयों को सहानुभूति या तकनीकी कठोरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने उपचार प्राप्त करने में उचित तत्परता बरती है। जहां स्पष्टीकरण वास्तविक, तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है, वहां न्यायालयों ने विलंब क्षमा करने का रुख अपनाया है। जहां लापरवाही, सद्भावना की कमी या लापरवाही का दृष्टिकोण स्पष्ट है, वहां विलंब क्षमा से इनकार कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने युक्त्युक्त तत्परता प्रदर्शित नहीं की है एवं न ही उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है। उपरोक्त कारणों से उनकी ओर से लापरवाही, सद्भावना का आभाव एवं शिथिलतापूर्ण दृष्टिकोण प्रकट होता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामले के गुणदोष के आधार पर सशक्त वाद होना विलंब क्षमा का आधार नहीं है। जब विलंब क्षमा के लिए न्यायालय के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जांच मात्र इस बात तक सीमित होती है कि क्या अपील या कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल न करने का "पर्याप्त कारण" दर्शित किया गया है। अन्तर्निहित वाद के गुणदोष का इस जांच से कोई भी संबंध नहीं है। यदि न्यायालय इस स्तर पर मामले की योग्यता पर विचार करेंगे, तो इससे प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्नों एवं वास्तविक निर्णय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे न्यायिक जांच के दो भिन्न चरण परस्पर मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि दावा विधिक या तथ्यात्मक रूप से सशक्त है या नहीं, बल्कि मात्र यह निर्धारित करना है कि क्या आवेदक के पास विलंब का उचित कारण था। "पर्याप्त कारण" की कसौटी को मामले के गुणदोष की जांच से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। विलंब क्षमा, विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित विवेकाधिकार का मामला है, न कि वाद में सफलता की संभावनाओं पर। यदि वाद की विशेषताओं पर विचार किया जाए, तो सशक्त वाद के वादी को लापरवाही के बावजूद क्षमा प्रदान की जा सकती है, जबकि दुर्बल मामले को पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इससे विधि का असमान एवं असंगत अनुप्रयोग होगा, जिससे परिसीमा के सिद्धांत द्वारा स्थापित एकसमान मानक का हनन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब क्षमा के चरण में गुण-दोष पर विचार न करने का एक एवं व्यावहारिक कारण बताया है, वह यह है कि इससे मामले की प्रारंभिक सुनवाई से पूर्व ही न्यायालय का किसी एक पक्ष के विरुद्ध पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की आशंका रहती है। गुण-दोष पर समय से पूर्ण विचार करने से न्यायालय अनजाने में ऐसा मत बना सकता है जो बाद में निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस स्तर पर न्यायिक अनुशासन की यह अपेक्षा है कि मात्र विलंब के कारण की ही जांच की जाए, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, हम इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी विचार किया कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य की शिथिलता एवं निष्क्रियता के लिए कोई रियायत दी जा सकती है। इस विषय पर विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि '**पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड' (2012) 3 एससीसी 563** के निर्णय से पूर्व, विलंब क्षमा के मामलों में राज्य एवं उसके संस्थानों के प्रति न्यायिक सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाता था, क्योंकि उनके कार्यव्यवहार की प्रकृति विशिष्ट थी। साथ ही, इसके विपरीत मत भी उपलब्ध थे, जैसे '**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एडमिनिस्ट्रेटर, हावड़ा नगर पालिका' (1972) 1 एससीसी 366** एवं '**लंका वेंकटेश्वरलू (डी) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य' (2011) 4 एससीसी**

363 वादों में यह माना गया कि चाहे वादी सरकारी संस्था हो या निजी व्यक्ति, परिसीमा के प्रावधान समान रूप से लागू होंगे एवं न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायत भी समान रहेगी। **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के बाद वर्तमान विधि स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। विलंब की क्षमा अपवाद रहेगी, नियम नहीं। सरकारी वादियों को भी, निजी पक्षों की भांति, विलंब के लिए वास्तविक, पर्याप्त एवं ठोस कारण दर्शित करना होगा। ऐसे औचित्य के अभाव में, मात्र आवेदक की पहचान के आधार पर विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि '**राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बाल किशन माथुर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि' (2014) 1 एससीसी 592** एवं **शिव राज सिंह बनाम भारत संघ' (2023) 10 एससीसी 531** के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त) का निष्कर्ष मूलतः द्विस्तरीय है। पहला, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा से संबंधित मामलों में राज्य या उसके किसी भी निकाय से तरजीही व्यवहार नहीं किया जा सकता। राज्य का मूल्यांकन किसी भी निजी वादी के समान, उन्हीं मानकों पर किया जाना चाहिए। अन्यथा, परिसीमा की शुचिता से समझौता होगा। दूसरे, सरकारी विभागों द्वारा विलंब क्षमा मांगने के आधार के रूप में नौकरशाही की लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक अड़चनों या प्रशासनिक अक्षमताओं पर बार-बार निर्भर रहना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए सदैव "पर्याप्त कारण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कारणों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो परिसीमा विधि द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशासन ही अशक्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों में अंतहीन अनिश्चितता उत्पन्न होगी। हमने उक्त निर्णय के अन्य भागों, जिनमें प्रस्तर 214 एवं अनुवर्ती भाग सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया है।

9. अतः, हमें इस अपील को दाखिल करने में हुए 524 दिनों के अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई आधार या स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है। विलंब क्षमा का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। परिणामस्वरूप अपील भी खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

14 जनवरी, 2026

पीयूष